

कार्यालय कमाण्डेण्ट, जिला प्रशिक्षण केन्द्र होमगार्ड्स श्रीनगर गढवाल।

पत्रांक 57/डीटी0सी0/भूमि पत्रा0/होगा/2020-21/ दिनांक 30-7-2020
सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
वन भूमि हस्तान्तरण, इन्दिरानगर
फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून।


विषय :- जनपद पौड़ी गढवाल में होमगार्ड स्वयं सेवको के प्रशिक्षण हेतु परेड ग्राउण्ड के निर्माण हेतु 0.812 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु केन्द्रहोमगार्ड्स को हस्तान्तरण। (FP/UK/OTHERS/37468/2018)

सन्दर्भ- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय पत्र संख्या- 8 वी./यू.सी.पी.
/01/198/2019/एफ0सी0/2109 दिनांक 17.12.2019

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्रांक संख्या- 8 वी./यू.सी.पी.
/01/198/2019/एफ0सी0/2109 दिनांक 17.12.2019 के द्वारा प्रस्ताव संख्या-
FP/UK/OTHERS/37468/2018 में कमाण्डेण्ट, जिला प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्ड्स श्रीनगर गढवाल परेड ग्राउण्ड
निर्माण हेतु ऑनलाईन प्रस्ताव में अंकित की गई आपत्तियों का निराकरण संलग्न कर निम्नानुसार स्वीकृति हेतु प्रेषित है-

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	सामान्य रूप से non-site specific गतिविधि के लिये अनुमति दिया जाना संभव नहीं है। State Government may examine the proposal in the light of para 1.15 of guidelines regarding non-site specific activity and submit all the required documents including proper justification for proposing area in forest land, DM certificate for non-availability of non-forest land, etc.	प्रस्ताव हेतु भूमि उपलब्ध न होना का जिलाधिकारी का प्रपत्र संलग्न किया जा रहा है।(संलग्न-01)
2	The administrative approval submitted with the proposal is for residential/non-residential purpose. The state Government may submit the correct administrative approval for construction of ground for training.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त स्वीकृति संलग्न किया जा रहा है। (संलग्न-02)
3	State Government may fill all the details in component wise breakup at para B 2.4, Part I online.	कार्यवाही डी0एफ0ओ0 कार्यालय द्वारा की जानी है।
4	State Government may submit the layout plan of the proposal.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त Layout Plan संलग्न किया जा रहा है। (संलग्न-03)



-क्रमश-2-

5	State Government may submit original copy of land schedule duly countersigned by DFO after authenticating the corrections made in it.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में हस्ताक्षरित लैंड शेड्यूल संलग्न किया जा रहा है। (संलग्न-04)
6	Muck disposal plan, plantation scheme and geologist report are not found uploaded State Government may upload the muck disposal plan, plantation scheme and geologist report as additional document in part I.	योजना के निर्माण में उत्सर्जित होने वाले मलबे को भरण के रूप में योजनान्तर्गत ही उपयोग कर लिया जायेगा। अतः Muck disposal plan की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।
7	Bar chart, tree enumeration list, FRA certificate and work not start certificate not submitted in original. State Government may submit the original copy of bar chart, tree enumeration list, FRA certificate and work not start certificate to this office.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में हस्ताक्षरित एफ0आर0ए0 की प्रति संलग्न की जा रहा है। (संलग्न-05)
8	It is seen that justification of the proposal in not submitted in hard copy. State Government may submit the original copy of justification to this office.	प्रस्ताव की मूल प्रति इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।
9	It is seen that no comments have been made by DFO against para 6. Para II. State Government may ensure that the comments of DFO have been made against "Brief note on vulnerability of the forest area to erosion" in Para II online.	सम्बन्धित कार्यवाही डी0एफ0ओ0 कार्यालय द्वारा की जानी है।
10	District profile details filled at para 14, Part II seems incorrect. State Government may provide the correct information in district profile at para 14, Part II.	सम्बन्धित कार्यवाही डी0एफ0ओ0 कार्यालय द्वारा की जानी है।
11	उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार प्रस्तावित भूमि पर क्या-क्या निर्माण कार्य किया जायेगा, इसका विवरण एवं प्लॉन भी इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कार्य हेतु गठित आगणन की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कमाण्डेन्ट
जिला प्रशिक्षण केन्द्र होमगार्ड्स
श्रीनगर गढवाल।

पत्रांक 57 / डीटी0सी0/भूमि पत्रा0 /होगा /2020-21/तदिनांक 30-7-2020

1-- प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, गढवाल वन प्रभाग पौडी को सूचनार्थ प्रेषित।


कमाण्डेन्ट
जिला प्रशिक्षण केन्द्र होमगार्ड्स
श्रीनगर गढवाल।

—:प्रमाण-पत्र:—

प्रमाणित किया जाता है कि कार्यालय कमाण्डेण्ट जिला प्रशिक्षण केन्द्र होमगार्ड्स श्रीकोट गंगानाली को प्रस्तावित 0.812 हे० वन भूमि के अन्तर्गत किसी प्रकार की सिविल सोयम भूमि उपलब्ध न होने के कारण वन भूमि पर होमगार्ड्स विभाग द्वारा आवेदन किया जा रहा है।

b.R.s
अधिकारी
बहाल

सिलेब्र - 02

कृष्ण कुमार वी०के०,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

कमाण्डेन्ट जनरल,
होमगार्ड्स,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग-5

देहरादून: दिनांक: 12 मार्च, 2020

विषय - जिला प्रशिक्षण केन्द्र श्रीनगर के 0.812 है० वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय:

कृपया उपर्युक्त विषयक, अपने पत्र संख्या-सीजी-63/होगा/2008/5681, दिनांक-06.02.2020 का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा जिला प्रशिक्षण केन्द्र श्रीनगर के 0.812 है० वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, जिला प्रशिक्षण केन्द्र श्रीनगर के 0.812 है० वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है, कि वन विभाग की अनापत्ति के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराया जा सकेगा।


TL 12/3
T.G. H.S.

मर्ददीय,
(कृष्ण कुमार वी०के०)
अपर सचिव।

सिमा - 03

LAYOUT (PLAN) FOR PARADE GROUND FOR D.T.C. HG PAURI
GARHWAL (AT SRIKOT GANGANALI SRINAGAR GARHWAL)

90.11 Mtr



↑
BOUNDARY WALL
0.23 x 1.50
(w x h)

[Signature]
COMMANDANT
D.T.C. HG SRINAGAR
PAURI GARHWAL

परियोजना का नाम:- होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण हेतु परेड ग्राउन्ड का निर्माण
 (सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि हेतु राजस्व विभाग द्वारा दिया जाना है।)

भूमि की श्रेणी	जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं०	कुल रकवा	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (हे०)			
सिविल एवं सोयम श्रेणी	पौड़ी गढ़वाल	खीनर	खिड़ी	93-मछे -	0.030	90.11	90.11	0.812 हे०			
				94-11- -	0.035						
				102-11- -	0.020						
				103-11- -	0.024						
				104-11- -	0.026						
				105-11- -	0.023						
				106-11- -	0.035						
				116-11- -	0.016						
				117-11- -	0.029						
				कुल क्षेत्र-9 -					0.238 हेक्टेयर		
				श्रेणी 10(4) के खाता सं० 25 के क्षेत्र सं० -					78-मछे - 0.003		
									78-11- - 0.020		
									79-11- - 0.030		
									87-11- - 0.033		
									88-11- - 0.075		
				91-11- - 0.034							
				92-11- - 0.088							
				95-11- - 0.024							
				96-11- - 0.019							
				97-11- - 0.030							
				98-11- - 0.019							
				99-11- - 0.014							
				100-11- - 0.020							
कुल क्षेत्र-13 -				0.409 हेक्टेयर							
क्षेत्र का प्रकार -				107-मछे - 0.020							
वनपंचायत ->				109-11- - 0.025							
खाता सं० 26 के क्षेत्र सं० -				120-11- - 0.020							
				121-11- - 0.033							
				108-11- - 0.067							
कुल क्षेत्र - 05 क्षेत्र -				0.165 हेक्टेयर							
वन पंचायत											
योग वन भूमि											
नाप भूमि											
कुल योग					0.812 हेक्टेयर						

ह०/-
 प्रयोक्ता एजन्सी
COMMANDANT
DIST TRAINING CENTER
HOME GUARD
SHRINAGAR (GAHWAL)

(भूपेन्द्र सिंह)
 राजस्व तथा निरीक्षक
 राजस्व पुलिस प्रशासन
 पट्टी - 35/000-11

उप वन निरीक्षक
 प्रमाणीय वनाधिकारी
 गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी

जिलाधिकारी
 गढ़वाल
 वन निरीक्षक
 पौड़ी वन प्रभाग

प्रारूप-30,1


OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT. PAURI... GARHWAL... U.K.


Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA) 2006.


A meeting of the district level committee of..... PAURI..... district, constituted under FRA.2006 was held under the chairmanship of Mr./Mrs./Miss- SUSHIL KUMAR I.A.S. deputy commissioner,..... PAURI..... an dated 30-09-2018..... at time..... 12:00..... at..... PAURI..... in which application claiming rights in..... 0.812..... area measuring..... 0.812..... hect. for the construction of..... PAVED GRAUND..... forest land under FRA. 2006. of the following application duly processed and recommended by the sub division level committees of..... Srinagar..... sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.


after scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/ claims were found to have been made & hence District Level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: PAURI.....
Dated: 30-09-2018


Deputy Commissioner and Chairman
District Level Committee
गढ़वाल


COMMANDANT
DIST. TRAINING CENTER
BHOJGAHAT
GARHWAL


राज्य उप निरीक्षक
क्षेत्र-कटुवाली-12
तहसील-सिनगर
जिला-गढ़वाल


तहसीलीदार
सिनगर गढ़वाल

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)
FORM-I

(for linear projects)
Government of Uttarakhand

Office of the District Collector - PAURI

No. 1343/1 / 26-यथा 0 आध 0 (सय 0 0) 2018

Date: 30-09-2018

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India, Letter No. 11/998-FC (pt) dated 3rd Augst 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA; for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that 0.812 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Commandant District Training Center Home Guards, Sringeri, Garhwal (name of user agency) for Farming Center, Pauri in Commandant (परे. ग. 3) (purpose for diversion of forest land) in Patti - Katalsun TEH Secl - Sringeri Garhwal district falls within jurisdiction of Village - Sringeri, Garhwal village(s) in Sringeri, Garhwal tehsil, Distt - Pauri Garhwal, Uttarakhand.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 0.812 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meeting of the Forest Right committee (s), Gram Sabha (s) sub- Divisional level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 65 to 70 annexure 62
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoerment as required under section 5 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it
- (c) the proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal Groupa and Pre-agricultural communities

Encl: As above

signature
(Full name and official seal of the District Collector)

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Gvoerment of uttrakhand Office of the District Collector - PAURI

No. 1343/1 / 26-यथा 0 आध 0 (सय 0 0) 2018

Dated: 30-9-18

To WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry environment and Forest (MoEF) Gvoerment of india, s letter no 11-998-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forst Dwellers (Recognition of forest Right) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non- forest purposes, it is certified that 0.812 hectares of forest land proposed to be diverted in gavour of Commandant District Training Center Home Guards, Sringeri, Garhwal (name of user agency) for Farming Center, Pauri (purpose for diversion of forest land) in PAURI, GARHWAL district falls within jurisdiction of Sringeri, Garhwal village (s) in S.R. NAGAR.....tehsil.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 12.2 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meeting of the Forest Right committee (s), Gram Sabha (s) sub- Divisional level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 01 (one) to 02 Two annexure of
- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/local language; have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/process under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion, a copy of certificate issued by the gram sabha of SAIKOT, GANBANA villages(s) is enclosed as annexure 03 of annexure 04 of
- (d) the discussion and decisions on such proposal had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been complete and the Gram Sabha have given their consent to it.
- (f) the rights of Primitive Tribes Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguard as per section 3(1)(e) of the FRA.

Encl: As above.

Gaurav
COMMANDANT
DIST TRAINING CENTER
HOME GUARD
SHRINAGAR (GARHWAL)

Mudra
 राजमन्त्र उप निरीक्षक
 क्षेत्र कश्मीर-12
 तहसील-श्रीनगर
 जिला-पौड़ी गढ़वाल

Shri Smt
 तहसीलदार
 श्रीनगर गढ़वाल

Mudra
 (shri **SUSHIL KUMAR**) I.A.S.
 District Collector
 Pauri Garhwal

प्रारूप -19

परियोजना का नाम:- होमगार्ड्स स्वंय सेवकों के प्रशिक्षण हेतु परेड ग्राउंड का निर्माण

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण
प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 20-08-2018 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षणके दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई

प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार/प्रजातिवार/व्यास वार विवरण।

क सं	भूमि की श्रेणी	वनब्लाक/कम्पार्टमेन्ट/खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक का नाम	व्यास वर्ग											
					10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	अधिक		
1	आरक्षित वन भूमि	---	---	---	-	शून्य	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	सिविल सोयम	---	01	खैर Acacia Acacia	-	06	06	---	---	---	---	---	---	---	---	12
3	वन पंचायत	---	शून्य	---	-	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	संरक्षित वन	---	शून्य	---	-	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	योग:- वन भूमि	---	---	---	-	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	नाप भूमि	---	---	---	-	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	कुल योग:-	---	---	---	-	06	06	---	---	---	---	---	---	---	---	12

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

Pras
डी.के. लन्दु
ल०६६

ह०/-
राजि अधिकारी

Pras
उपरोक्त संरक्षित
पट्टा संरक्षित प्रजातिकारी

ह०/-
राजस्व विभाग
20-08-18
प्रजातिकारी-4

ह०/-
जिलाधिकारी

Pras
उपरोक्त संरक्षित प्रजातिकारी
गोड़ी रेंज नागद्वारा
20-08-18

Pras
जिलाधिकारी
महुपात्र

प्रारूप -15

परियोजना का नाम: होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण हेतु परेड गार्ड्स का निर्माण

लैंड शेड्यूल (आरक्षित वन भूमि)

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लाक का नाम	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (हे०)
पौड़ी गढ़वाल	शहकाल वन प्रभाग पौड़ी	पौड़ी निम्न नागदेव	—	—	—	—

हो / *[Signature]*
 प्रयोक्ता एजेन्सी
COMMANDANT
 DISTT TRAINING CENTER
 HOME GUARD
 SHRINAGAR (GAHWALI)

[Signature]
वन अधीक्षक
 पौड़ी रेंज नागदेव
 ए० व० व० पौड़ी

[Signature]
उप वन संरक्षक
 प्रभागीय वनाधिकारी
 पड़वाल वन प्रभाग, पौड़ी

[Signature]
उप प्रभागीय वनाधिकारी
 पौड़ी उप वन प्रभाग
 पौड़ी

नोट:- (प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु)

1. जिस किमी० पर जो ग्राम पड़ता हो, उसके नाम का भी बारचार्ट में उल्लेख किया जाय।
2. यदि प्रस्तावित मार्ग पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्मित किया जाना है तो पूर्व निर्मित मार्ग के नाम का बारचार्ट में उल्लेख करते हुए भारत सरकार की स्वीकृति का भी उल्लेख किया जाय एवं तदनुसार आगे निर्मित किये जाने वाले प्रस्तावित मार्ग के किमी० का कमशः उल्लेख करें।
3. यदि मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना प्रस्तावित हो तो पूर्व निर्मित मार्ग की चौड़ाई का उल्लेख करते हुये वर्तमान में प्रस्तावित मार्ग के चौड़ाई का बारचार्ट में स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
4. मानचित्र में दर्शाये गये निघ

भूमि की श्रेणी	संकेत तालिका रंग	क्षेत्रफल (हे० में)
आरक्षित वन भूमि	हरा	22-24
सिविल एवं सोयम भूमि	पीला	0.647 हेक्टेयर
वन पंचायत भूमि	बैंगनी/नीला	0.165 हे०
सरक्षित वन भूमि	भूरा	22-24
नाप भूमि	सफेद/अन्य रंग	22-24
		कुल → 0.812 हे०

(श्रीशंकर लाल)

उप वन विभाग
पड़ोसी वन प्रभाग, पौड़ी

वन विभागाधिकारी
पौड़ी रेंज नागपुर
व. व. व. पौड़ी

प्रभारी वनाधिकारी
पौड़ी उ० वन प्रभाग
पौड़ी

ह०/-
प्रयोक्ता एजेन्सी

COMMANDANT
DIST. TRAINING CENTER
HOME GUARD
SHRINAGAR GAZIABAD